लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./186/2008/1295 भोपाल,दिनांक: 29/09/08

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ–1/49/2008/20–1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक–1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक–2 तथा तालिका क्रमांक–3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक–3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत् शाला का नाम	कार्यरत् निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती सोनिया वर्मा, अध्यापक, शा. पूर्व मा.वि.आरकंडी जिला सतना	जनपद पंचायत मैहर, जिला सतना जा.क्र.986 दि.24.7.08	नगर निगम जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.234 अ दि.17.9.08 शा.नवीन मा.शा.कजरवारा
2.	श्रीमती मिथिलेश सेन, अध्यापक, शा.मा.वि.नुनवाहा जिला दतिया	जनपद पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र.1235 दि. 22.8.08	जनपद पचायत करेरा जिला शिवपुरी जा.क्र. 1251 दि. 20.08.08 शा.मा.वि.उटवाहा
3	श्रीमती मंजुला गौतम, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.अमहा जिला उमरिया	जनपद पंचायत मानपुर जिला उमरिया जा.क्र.1037 दि.15.07.08	जनपद पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.2911 दि.26.09.08 शा.प्रा.शा.मंगेली
4.	श्रीमती रूकमणी राजपूत, अध्यापक,शा.नवीन मा.वि. गढोलाखाढे जिला दमोह	जिला पंचायत दमोह जिला दमोह जा.क्र. 834 दि.23.09.08	जिला पंचायत टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 3563 दि. 08.09.08 नवीन मा.शा.सापोंन, हैदरपुर या नवीन मा.शा.मोने

संविलियन की शर्तें :–

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक–3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका–1 में वर्णित सहायक अध्यापक,अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक–3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमाक–1 में वर्णित सहायक अध्यापक,अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक–3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक–3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक–2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक,अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक–1 में वर्णित सहायक अध्यापक,अध्यापक जिले में कार्यरत् है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक

विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।

6. संविलियन किये जा रहे तालिका कमांक–1 में वर्णित सहायक अध्यापक,अध्यापक की वरिष्ठता कमांक–3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के सहायक अध्यापक,अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मी का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका कमांक–1 में वर्णित सहायक अध्यापक, अध्यापक के विरूद्व कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तो की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील कमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका कमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक कमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

29/9/08

उप संचालक,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./186/2008/1296 भोपाल,दिनांकः 29/09/08

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव,मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तो की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.......................मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तो की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी...................... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तो की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तो की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका कमांक–1 में वर्णित संबंधित सहायक अध्यापक, अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

29/9/08

उप संचालक,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश